न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

मुकदमा नम्बर :– **946 / 2015**

GCMS NO. 2016/00402

अमर सिंह पुत्र श्री नन्दराम उम्र 48 साल जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) जरिये मुखत्यार खास श्रीमती सुमन देवी पत्नि श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

.....वादी

– ब ना म –

1. नफेसिंह पुत्र श्री शिवलाल उम्र 40 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. सुमेर सिंह पुत्र श्री शिवलाल उम्र 38 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. मोहरली पुत्री / पत्नि शिवलाल उम्र 60 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. रोहताश पुत्र श्री फूलचन्द उम्र 50 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. हंसराम पुत्र श्री कालूराम उम्र 52 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. मदन पुत्र कालूराम उम्र 48 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. मुकेश पुत्र कालूराम उम्र 45 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
8. तुलसीराम पुत्र श्री कालूराम उम्र 75 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
10. प्यारे लाल पुत्र श्री सांवलराम उम्र 62 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
11. परमेश्वरी पत्नि होशियार सिंह उम्र 60 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
12. समीर पुत्र होशियार सिंह उम्र 28 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
13. शिवकुमार पुत्र श्री उमराव सिंह उम्र 45 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

14. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री उमराव सिंह उम्र 40 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
15. सुभाष पुत्र श्री सांवलराम उम्र 55 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

............................प्रतिवादीगण

दावा – बेदखली एवं पत्थरगढ़ी
अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
एवं धारा 111/128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–

1. श्रीमती सुमन देवी	मुखत्यार	वादी
2. श्री राजकुमार	अभिभाषक	प्रति.सं. 1 से 3, 5 से 8
3. श्री राजेश यादव	अभिभाषक	प्रति.सं. 10 से 15
4. श्री प्रदीप सैन		

–: निर्णय :– दिनांक :– 02.07.2025

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से जरिये मुखत्यार खास दिनांक **18.06.2015** को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि वादी की ग्राम पालोता की सरहद में खातेदारी काश्त की भूमि स्थित है जिसके हाल जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के अनुसार ख०नं० 30 रकबा 2.47 है0 जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।
2. यह कि उपरोक्त भूमि के पश्चिम दिशा मे खसरा नं 31 रकबा 2.10 है० स्थित है जो प्रति० सं० 4 के नाम दर्ज है । व उत्तर–पश्चिम दिशा में खसरा नं. 33 रकबा 2.00 है० स्थित है जिसके खातेदार प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 है व उत्तर दिशा में खसरा नं० 29 रकबा 1.28 है. स्थित है जिसके खातेदार प्रतिवादीगण सं. 5 लगायत 8 है व इस भूमि के पूर्व दिशा में ग्राम बुहाना की सीमा (कांकड) लगता है जिसके पूर्व में खातेदारी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 15 की खातेदारी भूमि स्थित है जिसके खसरा नंबर 1925, 1976, 1927 है।
3. यह कि वादीगण भोला–भाला मजदूरी पेशा व्यक्ति है व वादी के पडोसी काश्तकार साधन सम्पन्न व प्रभावशाली व्यक्ति है जिन्होनें प्रत्येक फसल काश्त के समय वादी की भूमि को दबाकर काश्त करना शुरु [illegible] वादी उनको उसकी भूमि दबा लेने बाबत कहता है तो [illegible] कि उनको बाद में सही कर देंगे लेकिन पडोसी काश्तकारों ने साल दर [illegible] वादी की भूमि को पश्चिम दत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से लगभग 0.20 है० भूमि को दबाकर उस पर अतिक्रमण कर लिया तथा प्रतिवादी सं. 10 लगायत 15 ने पूर्वी दक्षिणी कोने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

कांकड़ को काटकर लगभग 0.14 है० भूमि वादी की दबाकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रतिवादी मजदूरी पेशा व्यक्ति होने के कारण सुरजगढ़ में रहता है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादी की भूमि को निरंतर दबाता रहे हैं। इस संबंध में वादी दिनांक 04.06.2013 को व 17.09.2013 को अपनी भूमि की नपती (सीमाज्ञान) करवाया लेकिन प्रतिवादीगण ने सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर दिया उसके बाद दिनांक 12.09.2013 को एक पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश कर प्रतिवादी को उसकी भूमि से बेदखल किया जाये जिसकी पालना मे दिनांक 17.09.13 को वादी की भूमि का पुनः सीमाज्ञान किया गया जिसके अनुसार वादी के खसरा नंबर 30 रकबा 2.47 है. भूमि पूर्व की तरफ शिवलाल, पश्चिम में रोहताश, नफे सिंह, सुमेर व पूर्व दक्षिण कोने में प्रतिवादी सं. 10 लगायत 15 ने लगभग 0.20 है. भूमि को दबाकर अतिक्रमण कर लिया है इस संबंध में श्रीमान जी द्वारा उक्त अतिक्रमण से बेदखल बाबत रिपोर्ट तहसीलदार साहब ने मांगी तो उनके पत्र क्रमांक 319/2014 दिनांक 09.06.20 2014 के अनुसार सक्षम न्यायालय से बेदखली के आदेश होने पर ही अतिक्रमियों से बेदखली आदेश होने पर ही अतिक्रमियों को बेदखल किया जाना संभव होगा इस लिये यह दावा न्यायालय श्रीमान जी में पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

4. यह कि दावा के लिये आधार विवाद अनावेदकगण/प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि को लगभग 0.20 है. भूमि को दबाकर उस पर अतिक्रमण कर लने व सीमाज्ञान के बाद भी कब्जा नहीं छोडने पर यह विवाद पैदा हुआ जिसके लिये यह दावा बाबत बेदखली व पत्थरगढ़ी पेश किया जाना आवश्यक हुआ।
5. यह कि खातेदार अमर सिंह मजदूरी हेतू बाहर रहता है जिसने दावा करने हेतू अपनी पत्नि सुमन देवी को अपना मुख्त्यार खास नियुक्त कर रखा है जिसके द्वारा ये दावा पेश किया जा रहा है।
6. यह कि विवादित भूमि ग्राम पालोता की सरहद में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में आता है इसलिये उक्तवाद पत्र की सुनवायी बाबत न्यायालय श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
7. यह कि दावे में नवीन जमाबंदी व रिकार्ड पेश किया गया है जिसके समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश है।
8. यह कि दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।
9. **अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

(क) वाके ग्राम पालोता स्थित खातेदा[illegible] की [illegible] खसरा नंबर 30 रकबा 2.47 है0 भूमि में प्रतिवा[illegible] अतिक्रमण कर लगभग 0.20 है. भूमि दबाली [illegible] वादी के ख०नं० 30 रकबा 2.47 है० की पत्थरगढी किये जाने की कृप[illegible]करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]खण्ड अधिकारी
गुढ़ा (झुंझुनूं)

(ख) अन्य अनुतोष जो आयाचित हो दिलवाया जावे।

10. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तामिल जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9 सरकार पक्ष है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 से 8 तथा 10 से 15 की ओर से जवाब दावा इस प्रकार से पेश हुआ है कि :-

(जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 से 8)

11. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 1 जिस भांति दर्ज है सही नहीं है अतः स्वीकार नहीं है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उक्त खण्ड उल्लेखित विवादित भूमि के रिकार्ड खातेदार मायाकौर, सुमित्रा, विमला पुत्री नन्दराम, हरबाई पत्नी नन्दराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त विधिक स्थिति के मध्य नजर वाद वादी पोषणीय नहीं है एवं प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

12. यह कि वाद पत्र खण्ड सं0 2 में दर्ज तथ्य वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त खण्ड दर्शित खातेदारान का खातेदार काश्तकार होना सही है परन्तु पूर्व राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त प्रतिवादीगण की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि से ज्यादा भूमि बनती हैं जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त प्रतिवादीगण की भूमि कम दर्ज होकर आयी है। उक्त कारण से उक्त प्रतिवादी की भूमि ज्यादा बनती है जिस पर वे पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

13. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं० 3 मिथ्या काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है अतः स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादी की कोई भूमि नहीं दबाई है न ही अतिक्रमण किया है वादी एवं उसके पूर्वज 100 वर्षों से वाद अन्तर्गत भूमि की वर्तमान भौतिक स्थित में ही काश्त करते आ रहे है एवं वादी भी की भांति ही वादान्तर भूमि को काश्त कर रहा है वादी ने इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण से कभी कोई विरोध या आपति दर्ज नहीं करायी है न ही प्रतिवादीगण को सूचित कर कोई सीमाज्ञान करवा गया है। इस कारण से सीमाज्ञान सम्बन्धित तथ्य वादी ने उक्त खण्ड में गलत दर्ज किये। उक्त खण्ड में दर्ज प्रतिवादीगण रोहिताश, नफे सिंह, सुमेर सिंह आदि ने वादी की कोई भी 0.20 है भूमि दबाकर अतिक्रमण नहीं किया है क्योंकि मौके की भौतिक स्थित से स्पष्ट तौर पर प्रकट होता है कि सैकड़ों वर्ष पुरानी सीमायें व डोले पूर्व की भांति ही यथावत है [illegible] परिवर्तन नहीं किया गया।

14. यह कि वाद पत्र का खण्ड [illegible] है वादी को कोई आधार विवाद प्राप्त नहीं है [illegible] अनुतोष के पोषणीय नहीं है इसलिए प्रारम्भिक स्थित वाद खारीज होने योग्य है।

15. यह कि वाद खण्ड न० 5 जिस भांति दर्ज है स्वीकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

16. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 6 कानूनी है उतर की आवश्यकता नहीं है।

17. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 7 मे दर्ज जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड व शपथ पत्र की नकल नहीं दी गई। अतः पूर्व उतर देने की असर्मथता है।

18. यह कि वाद पत्र का खण्ड न० 8 कानूनी है उतर की आवश्यकता नहीं है। अनुतोष वाद पत्र स्वीकार नही है।

–: अतिरिक्त उत्तर :–

19. यह है कि वादान्तर भूमि खसरा न० 30 रकबा 2.47 है0 के पूर्व व दक्षिण में स्थित भूमि के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए वाद वादी कानून सम्मत कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही खारीज किये जाने योग्य है।

20. अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि :– वाद वादी विशेष व्यय सहित खारीज किया जावे।

(जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 10 से 15)

21. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 1 गलत हैं स्वीकार नही हैं।

22. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 2 जिस भांति दर्ज हैं गलत होने से स्वीकार नही हैं प्रतिवादी स. 10 लगायत 15 की खातेदारी की भूमी के हाल ख.न. 1925, 1926, 1927 व 1929 है। जो बुहाना राजस्व गांव स्थित हैं।

23. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 3 गलत होने से स्वीकार नही हैं। वादी ने झुठे तथ्य अंकित किये हैं। वादी की भूमी को किसी भी पड़ोसी खातेदार ने नहीं दबाया है। प्रतिवादी स. 10 लगायत 15 द्वारा 0.14 हैक्टर भूमी वादी की दबाने का प्रश्न ही नही हैं। वादी ने अपनी भूमी की जो नपति करवाई है उसके अनुसार प्रतिवादी स. 10 लगायत 15 ने उसकी कोई भूमी नहीं दबाई तथा उक्त सीमा ज्ञान से प्रतिवादी स. 10 लगायत 15 का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। वादी ने झुठे तथ्य अंकित किये हैं। दिनांक 12.09.2013 के पत्र के आधार पर दिनांक 17.09.2013 के अनुसार भी जवाबदाताओ का उसकी भूमी के किसी भी भाग पर कोई किसी प्रकार का कब्जा नहीं हैं। पत्र क्रमांक 319/2014 में भी प्रतिवादी स. 10 लगायत 15 का कब्जा होने का कोई वर्णन नहीं दिया गया हैं। वादी ने केवल काल्पनिक तथ्यो के आधार पर यह झुठा दावा पेश किया हैं।

24. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 4 गलत होने से स्वीकार नहीं है। वादी ने झुठे तथ्य अंकित किये हैं। उसका अपने रकबा पर कब्जा है व इस दावे की आड मे पड़ोसी पक्षकारों की भूमी पर कब्जा करना [illegible]। इसलिए वादी का यह दावा बदनियतिपूर्ण होने से खारिज [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

25. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 5 से 8 गलत होने से स्वीकार नहीं हैं।

–: अतिरिक्त उत्तर :–

26. यह कि वादी का दावा बिना वाद हैतुक का है किस प्रतिवादी ने कब वादी की भूमी पर कब्जा कर लिया तथा किस प्रतिवादी ने कितने रकबा पर अतिक्रमण कर

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

लिया इस बाबत वाद पत्र में कोई उल्लेख नहीं हैं तथा वादी की भूमी की बार बार नपति हुई हैं । दिनांक 18.6.2014 दिनांक 28.16.2015 को वादी एवं उसकी मुख्यतार की उपस्थित में नपति हुई हैं जिसके अनुसार उसके खेत की चौड़ाई एवम् लम्बाई का विस्तृत विवरण दिया गया हैं तथा उक्त नपति से उसका कुल रकबा भी पुरा हो जाता हैं। इस प्रकार वादी ने झुठा मुक्दमा किया हैं जो खारीज योग्य हैं।

27. यह कि वादी व उसकी मुख्यतार सुमन ने प्रतिवादी स. 10 लगायत 15 के खिलाफ यह झुठा दावा किया हैं। जो बिना आधार विवाद के केवल काल्पनिक तथ्यों पर आधारित हैं इसलिए वादी का यह दावा खारीज किये जाने योग्य है।

28. **अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि** :– वादी का दावा मय खर्चा खारिज किये जाने कि कृपा करें।

29. वादी की ओर से पत्रावली राजस्व साक्ष्य अभिलेख के रूप में राजस्व ग्राम पालोता तहसील बुहाना की नकल जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या नया 4, 30, 63, 90, पेश हुई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2013 ग्राम पालोता खसरा नम्बर 30, फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2013 ग्राम बुहाना खसरा नम्बर 2010, फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2013 ग्राम पालोता खसरा नम्बर 30, फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2014 ग्राम पालोता खसरा नम्बर 30, मुखत्यार अधिकार पत्र दिनांक 07.07.2014 पेश हुये। प्रतिवादीगण की ओर से भी राजस्व ग्राम पालोता की कुछ नई व पुरानी जमाबन्दीयों की फोटो प्रतियां पेश की गई तथा न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद संख्या 45/2017 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 बउनवानी प्यारेलाल आदि बनाम अमरसिंह आदि की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

30. वादी के मुखत्यार खास श्रीमती सुमन देवी व अधिवक्ता प्रतिवादीगण के निवेदन पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

31. वादी के मुखत्यार खास श्रीमती सुमन देवी ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम पालोता स्थित जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या नया 4 के खसरा नम्बर 30 रकबा 2.47 हेक्टेयर वादी, वादी की सगी बहने व माता के नाम से संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि है। वादी की भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 31 रकबा 2.10 हेक्टेयर स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है। उत्तर पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 33 रकबा 2.11 हेक्टेयर स्थित है जिसके खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 है व उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 29 रकबा 1.28 हेक्टेयर स्थित है जिसके खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 है व इस भूमि के पूर्व दिशा में ग्राम बुहाना की सीमा (कांकड) लगता है जिसके पूर्व में खातेदारी प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 15 की खातेदारी भूमि स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 1925, 1976, 1927 है। पडौसी काश्तकारों ने साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

दर साल वादी की भूमि को पश्चिम उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से लगभग 0.20 हेक्टेयर भूमि को दबाकर उस पर अतिक्रमण कर लिया तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 15 ने पूर्वी–दक्षिणी कोने में कांकड को काटकर लगभग 0.14 हेक्टेयर भूमि वादी की दबाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस संबंध में वादी ने दिनांक 04.06.2013 को अपनी भूमि की नपती (सीमाज्ञान) करवाया लेकिन प्रतिवादीगण ने सीमाज्ञान को मानने से इंकार कर दिया उसके बाद दिनांक 12.09.2013 को एक पत्र श्रीमान् के न्यायालय में पेश कर प्रतिवादीगण को उसकी भूमि से बेदखल किया जावे जिसकी पालना में दिनांक 17.09.2013 को वादी की भूमि का पुनः सीमाज्ञान किया गया जिसके अनुसार वादी के खसरा नम्बर 30 रकबा 2.47 हेक्टेयर भूमि पूर्व की तरफ शिवलाल, पश्चिम में रोहताश, नफेसिंह, सुमेर आदि ने लगभग 0.20 हेक्टेयर भूमि को दबाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस संबंध में श्रीमान् जी द्वारा उक्त अतिक्रमण से बेदखल बाबत रिपोर्ट तहसीलदार साहब से मांगी उनके पत्र क्रमांक 319/2014 दिनांक 09.06.2014 के अनुसार सक्षम न्यायालय से बेदखली के आदेश होने पर ही अतिक्रमियों को बेदखल किया जाना संभव होगा। इसलिये यह दावा न्यायालय श्रीमान् जी में पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी के मुखत्यार खास श्रीमती सुमन देवी ने अपनी बहस के अन्त में कथन किया कि फर्द मौका सीमाकंन रिपोर्ट दिनांक 17.09.2013 द्वारा पटवारी हल्का सांवलोद के अनुसार वादी की भूमि की पत्थरगढ़ी की जावे तथा पड़ौसी खातेदारों द्वारा वादी की जो भूमि दबाकर अतिक्रमण कर रखा है उससे भी प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे। बहस के दौरान वादी के मुखत्यार खास श्रीमती सुमन देवी का यह भी कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.06.2013, 15.06.2013 व 18.06.2014 को आधार मानकार पत्थरगढ़ी की बाबत वादी सहमत नहीं है।

32. अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने वाद पत्र में झुठे तथ्य अंकित किये है। वादी का उसकी भूमि खसरा नम्बर 30 के रकबा 2.47 हेक्टेयर पर कब्जा है। वादी इस दावे की आड़ में पड़ौसी खातेदारों की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। वादी द्वारा उक्त दावा केवल मात्र काल्पनिक तथ्यों के आधार पर बेदखली का पेश किया है। वादी ने दावा दायरी के समय दस्तावेज सूची के साथ तीन अलग–अलग प्रकार की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.06.2013, 15.06.2013 व 18.06.2014 पेश की है। तीनों ही सीमाज्ञान रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है। तीनों ही रिपोर्ट में [illegible] है। इस कारण वादी उक्त तीनों में से किसी भी एक रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढ़ी नहीं करवाना चाहता है। वाद में केवल दिनांक 17.09.2013 की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जो पत्रावली पर रिकार्ड के रूप में उपलब्ध नहीं है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा उक्त दावा बदनियती के कारण प्रतिवादीगण को हैरान–परेशान करने तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की भूमि को हड़पने की मंशा से पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

33. पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्थरगढ़ी के मामले में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो खातेदार सक्षम न्यायालय के यहां से जिस खसरा नम्बर की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है उस खसरा नम्बर का विधिवत रूप से भूमिधारी के यहां से सर्वप्रथम सीमाज्ञान करवाये तथा अपनी संतुष्टी पश्चात पत्थरगढ़ी या अतिक्रमण के मामले में बेदखली का प्रार्थना पत्र/दावा सक्षम न्यायालय के यहां संस्थित करें। प्रकरण के अवलोकन से पाया कि हस्तगत प्रकरण में तीन अलग–अलग दिनांक की सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली में शामिल है लेकिन जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.09.2013 के आधार पर वादी ने हस्तगत वाद न्यायालय हाजा में संस्थित कर अपनी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 2.47 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम पालोता की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है तथा अतिक्रमण हटवाना चाहता है वह प्रमाणित रिपोर्ट साक्ष्य अभिलेख के रूप में पत्रावली पर वादी द्वारा पेश नहीं की गई है। प्रकरण में बहस अंतिम सुनने के पश्चात वादी की ओर प्रशासनिक स्तर पर रिपोर्ट दिनांक 17.09.2013 की फोटो प्रति पेश की है जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी ने पूर्ण आपत्ति जाहिर करते हुये कथन किया है कि उक्त फोटो प्रति रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। चूंकि सम्पूर्ण प्रकरण के दौरान उक्त रिपोर्ट पत्रावली पर साक्ष्य अभिलेख के रूप में वादी की ओर से पेश नहीं हुई है। वादी की ओर से मुख्त्यार खास श्रीमती सुमन देवी ने भी अपनी बहस में इस बात का जिक्र किया है कि वह सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.09.2013 के आधार पर ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है।

34. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादी के वाद पत्र के अभिवचनों, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् के अनुसार वादी का वाद साक्ष्य अभिलेख के अभाव में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा

–: आदेश :–

35. अतः वादी का हस्तगत वाद साक्ष्य अभिलेख के अभाव में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार **अंतिम** पर्चा डिक्री जारी हो।

36. निर्णय आज दिनांक 02.0[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
[illegible] अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

अमर सिंह पुत्र श्री नन्दराम उम्र 48 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) जरिये मुखत्यार खास श्रीमती सुमन देवी पत्नि श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

.....वादी

– ब ना म –

1. नफेसिंह पुत्र श्री शिवलाल उम्र 40 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. सुमेर सिंह पुत्र श्री शिवलाल उम्र 38 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. मोहरली पुत्री/पत्नि शिवलाल उम्र 60 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. रोहताश पुत्र श्री फूलचन्द उम्र 50 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
5. हंसराम पुत्र श्री कालूराम उम्र 52 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
6. मदन पुत्र कालूराम उम्र 48 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
7. मुकेश पुत्र कालूराम उम्र 45 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
8. तुलसीराम पुत्र श्री कालूराम उम्र 75 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
10. प्यारे लाल पुत्र श्री सांवलराम उम्र 62 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
11. परमेश्वरी पत्नि होशियार सिंह उम्र 60 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
12. समीर पुत्र होशियार सिंह उम्र 28 साल जाति [redacted] निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

13. शिवकुमार पुत्र श्री उमराव सिंह उम्र 45 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
14. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री उमराव सिंह उम्र 40 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
15. सुभाष पुत्र श्री सांवलराम उम्र 55 साल जाति जाट निवासी पालौता तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— **बेदखली एवं पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 111/128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

मुकदमा नम्बर :— 946/2015
GCMS NO. 2016/00402
निर्णय दिनांक :— 02.07.2025

वादी की ओर से **श्रीमती सुमन देवी मुखत्यार खास** की व प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 से 8 की ओर से **श्री राजकुमार एडवोकेट** की तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 15 की ओर से **श्री राजेश यादव, श्री प्रदीप सैन एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02.07.2025** को **सुमन देवी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष **अंतिम** निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

"वादी का हस्तगत वाद साक्ष्य अभिलेख के अभाव में पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **02.07.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 16:39:14 IST
Reason: SelfAttested